राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश का नागरिक चार्टर

1- उद्देश्यः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न धर्मो, सम्प्रदाय एवं समाज के अन्य वर्गों के बीच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एकीकरण विभाग का गठन किया गया है, जिससे साम्प्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद प्रदेश के विकास में बाधा उत्पन्न न कर सके। प्रदेश सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने एवं साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करने हेतु प्रयत्नशील है।

2- राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाएं/कार्यक्रमों का विवरण :

क) अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजनाः ''अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह के लिये उत्तर प्रदेश अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976'' लागू है, जिसके अन्तर्गत ऐसे विवाहित जोड़ों जिनका एक पक्ष अनुसूचित जाति का हो, को अन्तर्जातीय विवाह तथा ऐसे विवाहित जोड़ों, जो विवाह के पूर्व अलग-अलग धर्म को मानने वाले रहे हो, को अन्तर्धार्मिक विवाह की श्रेणी में रखा गया है। इस सम्बन्ध में विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा उक्त नियमावली के नियम-7(2) में किए गए संशोधन के अनुसार अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का विकेन्द्रीकरण करते हुये मण्डलायुक्तों को प्रोत्साहन पुरस्कार की धनराशि नियमानुसार स्वीकृति हेतु अधिकृत किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारियों से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर मण्डलायुक्त द्वारा युगल दम्पति को प्रोत्साहन स्वरूप रू0 50,000/- का नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

ख) लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाया जानाः लौहपुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस दिनांक 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष ''राष्ट्रीय अखण्डता दिवस'' के रूप में मनाया जाता हे। प्रत्येक जनपद में इस अवसर पर समारोह आयाजित किये जाने हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जनपद को रू0 5,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है।

ग) कौमी एकता सप्ताह का आयोजनः प्रतिवर्ष दिनांक 19 से 25 नवम्बर तक भारत सरकार के दिशा निर्देश पर कौमी एकता सप्ताह जनपद स्तर पर मनाया जाता है। इस सप्ताह के आयोजन हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जनपद को रू0 5,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है।

घ) **<u>जिला एकीकरण समितियों का गठनः</u>** राष्ट्रीय एकता, भाई चारा एवं धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र की भावना बढ़ाने तथा साम्प्रदायिक एकता, सौहार्दपूर्ण वातावरण निरन्तर कायम रखने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर अध्यक्ष, जिला पंचायत की अध्यक्षता में जिला एकीकरण समितियों का गठन किया गया है। जनपद के समस्त मा0 सांसद/विधायकगण, जिलाधिकारी, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला स्तरीय धार्मिक समूह के प्रमुख एवं जिला सूचना अधिकारी समिति के पदेन सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा संस्तुत तथा अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित समाज के विभिन्न क्षेत्रों यथा- शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता, मीडिया, साहित्यकार, श्रमिक, उद्यमी, व्यापारी, महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, स्वैच्छिक संगठन आदि के 10 (दस) प्रतिनिधि सदस्य के रूप में नामित किये जाने की भी व्यवस्था है। जनपद के मुख्य विकास अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होते हैं तथा समिति के आयोजन आदि कार्यों के लिये इन्हें नोडल अधिकारी भी नामित किया गया है। इन समितियों द्वारा प्रमुख त्योहारों एवं उत्सवों जैसे रक्षा-बन्धन, होली, दिवाली, ईद-बकरीद, क्रिसमस डे तथा बसन्त पंचमी सामूहिक रूप से मनाने की व्यवस्था करना तथा इन अवसरों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं ऐसे व्यक्तियों जिन्हेंने साम्प्रायिक दंगों की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु अपनी जान खतरे में डाल कर दूसरे सम्प्रदाय के सदस्यों की जान बचायी हो एवं अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत किये गये हों, को आमंत्रित कर सम्मानित करना ताकि समाज के अन्य लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। समिति द्वारा बैठक में इसके लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जनपद को रू0 20,000/- की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसका जिला एकीकरण समिति की प्रत्येक त्रैमासिक बैठक के आयोजन हेतु रू0 5,000/- निर्धारित है।

ड) **<u>महान विभूतियों के जन्म दिन पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजनः</u>** प्रदेश क जनपदों के ऐसे ज्ञात-अज्ञात महानुभाव जिन्होंने स्थानीय समाज में भाई-चारे की भावनाओं को विकसित करने तथा विभिन्न सम्प्रदायों के बीच आपसी मेल मिलाप के महौल को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय योगदान दिया हो व उनका जन्मदिन धन के अभाव में नहीं मनाया जाता है। इसके लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जनपद को रू0 35,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है।

च) **<u>बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजनः</u>** बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस दिनांक 14 अप्रैल पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रत्येक जनपद को रू0 35,000/- की धनराशि निर्गत की जाती है तथा जिसका आयोजन जनपद स्तर पर ही किया जाता है।

छ) **<u>मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी को अनुदानः</u>** मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा तथा उनके ऊपर अन्य द्वारा लिखित उर्दू की पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं का अन्य भाषाओं में अनुवाद कर उसे प्रदेश के पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मौलाना आजाद स्मारक अकादमी, लखनऊ जो कि एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्था है, को रू0 15,00,000/- का अनुदान जिलाधिकारी की संस्तुति पर प्रत्येक वर्ष स्वीकृत किया जाता है।

ज) **<u>गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कारः</u>** उत्तर प्रदेश में निवासरत जन सामान्य में से कोई एक महानुभाव, जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो तथा इस दिशा में सतत् प्रयासरत् रहे हों, का अभिज्ञान कर शासन द्वारा उन्हें गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के रूप में सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 5 जनवरी को राज्य सरकार द्वारा रूपये एक लाख का नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाने एवं एक लाख रूपये पुरस्कार वितरण समारोह आयोजन करने अर्थात् कुल दो लाख रूपये इस पुरस्कार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है। योजना के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा निर्धारित की गयी समय सारिणी निम्नवत् हैः-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	तिथि
1	गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए चयन हेतु प्रस्ताव मण्डलायुक्तों/ जिलाधिकारियों/विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं कल्याण आयोगों के अध्यक्षों से प्राप्त करने हेतु शासन स्तर से परिपत्र	दिनांक 30 जुलाई
2	प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया को पुरस्कार का विज्ञापन प्रसारित करने हेतु विज्ञापन भेजना	दिनांक 30 जुलाई
3	मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों व अन्य स्रोतों से शासन में आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि	दिनांक 30 सितम्बर
4	प्राप्त आवेदन पत्रों/नामांकनों पर शासन स्तर पर परीक्षण एवं अन्य कार्यवाही पूर्ण किये जाने की तिथि	दिनांक 10 नवम्बर
5	चयन की कार्यवाही पूर्ण किया जाना एवं पुरस्कार की घोषणा	दिनांक 15 दिसम्बर
6	पुरस्कार का वितरण	दिनांक 5 जनवरी

3- <u>विभागीय ढांचा :</u> शासन स्तर पर राष्ट्रीय एकीकरण विभाग का नेतृत्व मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा विभागीय मंत्री के रूप में किया जाता है। इस विभाग का कार्य प्रमुख सचिव/सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा देखा जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अधीन मुख्यालय या विभागाध्यक्ष कार्यालय नहीं है और न ही मण्डल/जनपद अथवा अन्य स्तर पर कोई कार्यालय स्थापित है। राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत मात्र एक अनुभाग है तथा विभाग का संगठनात्मक ढॉचा निम्नानुसार हैः-

प्रमुख सचिव/सचिव

।

विशेष सचिव/संयुक्त सचिव

।

उप सचिव/अनु सचिव

।

अनुभाग अधिकारी

।

अधीनस्थ स्टाफ

4- <u>भारत सरकार द्वारा अपेक्षित संस्तुतियॉः</u> भारत सरकार द्वारा भी समय-समय पर 'कबीर पुरस्कार' व 'राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार' हेतु प्रदेश स्तर पर पात्र महानुभावों के नाम की संस्तुति मॉगी जाती है। भारत सरकार द्वारा 19 नवम्बर, 2015 से 25 नवम्बर, 2015 तक ''कौमी एकता सप्ताह'' तथा सप्ताह के अन्तिम दिन को राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान के ''झण्डा दिवस'' के रूप में मनाये जाने हेतु भी निर्देश प्राप्त होते हैं। झण्डा दिवस के अवसर पर स्टीकर, आदि भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें शासन व जिला स्तर से वितरित करने एवं प्राप्त धनराशि को भारत सरकार को भेजे जाने की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय कॉगेस कमेटी, नई दिल्ली द्वारा राजीव गॉधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार व इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय एकीकरण पुरस्कार के संबंध में प्रदेश स्तर के महानुभावों के नाम की संस्तुति का अनुरोध भी समय-समय पर किया जाता है।

उक्त पुरस्कारों के संबंध में प्रदेश के प्रत्येक जनपद को अपने जनपद के ऐसे महानुभावों के नाम की संस्तुति करने हेतु निर्देशित किया जाता है, जो निर्धारित माप-दण्डों के अनुरूप पाये जाते हो। शासन स्तर पर जनपदों से प्राप्त संस्तुतियों का परीक्षण किया जाता है तत्पश्चात् सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार संस्तुति भारत सरकार को प्रेषित की जाती है।

5- <u>परिवाद तथा शिकायत का निस्तारणः</u> शासन स्तर पर प्राप्त परिवाद व शिकायतों का शासन में उपलब्ध अभिलेखों एवं शासनादेशों के आधार पर परीक्षण किया जाता है। तद्ोपरान्त सक्षम स्तर पर लिये गए निर्णयानुसार परिवाद व शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-01/ 2016/01/चौंतीस-लो0शि0-05/2016, दिनांक 16 जनवरी, 2016 के अन्तर्गत लागू की गई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (**IGRS**) जन-सुनवाई पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है।

6- <u>विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्यः</u> विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए बजट में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के अनुमोदन से प्रदान की जाती है। जनपद स्तर पर संचालित होने वाली योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखी जाती है तथा अन्तर्जातीय /अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार की धनराशि को मण्डलायुक्तों के निवर्तन पर रखी जाती है। विभाग में पत्रावलियों को प्रस्तुत करने का स्तर निम्नवत् हैः-

प्रथम स्तर	द्वितीय स्तर	तृतीय स्तर
अनु सचिव/उप सचिव	संयुक्त सचिव/विशेष सचिव	प्रमुख सचिव/सचिव

अनुभाग स्तर पर समीक्षा अधिकारी के द्वारा पत्रावली अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है तथा अनुभाग अधिकारी द्वारा पत्रावली अनु सचिव को प्रस्तुत की जाती है। इसके उपरान्त अनुसचिव द्वारा उच्चाधिकारियों यथा उप सचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव व सचिव को प्रस्तुत की जाती है। सचिव महोदय द्वारा यथावश्यकता उच्च स्तर पर पत्रावली निर्णयार्थ प्रस्तुत की जाती है।

7- <u>लोक प्राधिकरण में नामित जन सूचना अधिकारी का विवरणः</u>

जन सूचना अधिकारी का नाम	**पदनाम**	**कार्यालय पता**	**टेलीफोन नं0**
श्री सोमनाथ	अनुभाग अधिकारी	द्वितीय ब्लाक, दक्षिणी कक्ष, बापू भवन, फेज-2, नवां तल, उ0प्र0 सचिवालय।	0522-2214871

8- <u>लोक प्राधिकरण में नामित अपीलीय अधिकारी का विवरणः</u>

अपीलीय अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय पता	टेलीफोन नं0
श्री अशोक कुमार	अनु सचिव	मुख्य भवन, टी0पी0 सेल, उ0प्र0 सचिवालय	0522 2213895

9- <u>राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अधिकारियों की निदर्शिनी निम्नानुसार है:</u>

क्रं0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का	पदनाम	कार्यालय टेलीफोन नं0	कार्यालय का पता
1	श्री अशोक कुमार	सचिव	0522 2238126	कक्ष सं0-8, प्रथम तल, सचिव भवन, उ0प्र0 सचिवालय।
2	सुश्री भावना श्रीवास्तव	विशेष सचिव	0522 2213960	कक्ष सं0-3, भूतल बहुखण्डी भवन, उ0प्र0 सचिवालय।
3	श्री अशोक कुमार	अनु सचिव	0522 2213895	मुख्य भवन, टी0पी0 सेल, उ0प्र0 सचिवालय

10- <u>राष्ट्रीय एकीकरण विभाग नवम तल, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ-</u>

1	श्री सोमनाथ	अनुभाग अधिकारी	0522 2214871
2	श्रीमती प्रेमलता	समीक्षा अधिकारी	0522 2214871
3	श्री सुनील कुमार	समीक्षा अधिकारी	0522 2214871
4	श्री बिन्दादीन	समीक्षा अधिकारी	0522 2214871
5	श्री समशेर बहादुर श्रीवास्तव	समीक्षा अधिकारी	0522 2214871
6	श्रीमती भारती गुप्ता	सहा0समीक्षा अधिकारी	0522 2214871
7	श्री दिनेश कुमार गुप्ता	कम्प्यूटर सहायक	0522 2214871
8	श्रीमती सईदा रिजवी बानो	अनुसेविका	0522 2214871

11- **<u>राज्य एकीकरण परिषद-</u>** मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य एकीकरण परिषद का गठन किया गया है। राज्य एकीकरण परिषद का पुनर्गठन अन्तिम बार विज्ञप्ति/संशोधन दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 द्वारा निम्नवत् किया गया हैः-

1-	मा0 मुख्य मंत्री जी	अध्यक्ष
2-	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के मा0 राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार)	उपाध्यक्ष
3-	मा0 शिक्षा मंत्री जी	सदस्य
4-	मा0 मंत्री जी, संस्कृति विभाग	सदस्य
5-	मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग	सदस्य
6-	मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित उ0प्र0 विधान मण्डल के सदस्य विभिन्न राजनैतिक दलों की संख्या के अनुपातिक आधार पर	सदस्यगण
7-	अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
8-	अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग	सदस्य
9-	अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, उ0प्र0	सदस्य
10-	समाज कल्याण आयुक्त	सदस्य
11-	प्रमुख सचिव, गृह विभाग	सदस्य
12-	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
13-	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य
14-	समाज के विभिन्न क्षेत्रों के मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित अधिकतम पॉच प्रतिनिधि (यदि मा0 मुख्य मंत्री जी उचित व आवश्यक समझें)	सदस्यगण
15-	प्रमुख सचिव/सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	सदस्य/सचिव

राज्य एकीकरण परिषद का कार्य निम्न क्षेत्रों में सरकार को सुझाव देना हैः-

-राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की प्रोन्नति एवं सुदृढ़ीकरण की दिशा में सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के रचनात्मक सक्रिय योगदान हेतु सुझाव देना।

-श्रमिकों एवं उद्यमियों तथा छात्रों व शिक्षकों का राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सौहार्द की अभिवृद्धि में योगदान हेतु सुझाव देना।

-राष्ट्रीय एकीकरण के परिप्रेक्ष्य में सभी वर्गों का सकिय योगदान प्राप्त करने हेतु कार्यक्रमों के आयोजन हेतु सुझाव देना।

-राष्ट्रीय एकता की अभिवृद्धि की दिशा में समुचित प्रचार एवं प्रसार हेतु सुझाव देना।

-त्रिभाषा फार्मूला के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव देना।

-भाषायी, क्षेत्रीय तथा धार्मिक कट्टरपन एवं राष्ट्रीय एकता की अभिवृद्धि में अन्य ऐसी हानिकारिक प्रवृत्तियों को समाप्त करने हेतु सरकार को सुझाव देना।

- देश की सुरक्षा अथवा अखण्डता प्रभावित होने पर समस्त नागरिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने हेतु सुझाव देना।

-जिला एकीकरण समितियों को और अधिक सक्रिय बनाने हेतु सुझाव देना।

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की वेबसाइट निम्नवत् हैः-

Nationalintegdep.up.nic.in, शासनादेश, अंतर्जातीय/अंतर्धार्मिक विवाह प्रारूप तथा अन्य आवश्यक अभिलेख इस वेबसाइट **http://shasanadesh.up.nic.in** पर भी उपलब्ध है।